



कर्मचारी भवष्य निध संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सेक्टर-17डी, चण्डीगढ़-160017

REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

दूरभाष/ Telephone: 271190, 2701158, 2701135 फैक्स/Fax: 2710453

क.भ.नि.चण्डी.प्रशासन-1/

दिनांक :

नि वदाएं आमंत्रित करने हेतु नोटिस

क.भ.नि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ की ओर से दो बोली प्रणालियों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सेक्टर 17-डी, चण्डीगढ़- 160017 तथा पटियाला व मंडी गोबिंदगढ़ स्थित इसके जिला कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड, हाउसकी पंग और अन्य मानवशक्ति सेवाओं के लिए नौकरी/कार्य अनुबंध प्रदान करने के लिए जनशक्ति सेवाओं के आउटसोर्सिंग हेतु अनुबंध देने के लिए नि वदा जांच के माध्यम से पंजीकृत/सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित जनशक्ति सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती हैं। बयाना राश (ई.एम.डी.) के तौर पर 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये केवल) का डमांड ड्राफ्ट 'क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़' के पक्ष में, जो क चण्डीगढ़ में देय हो, नि वदा दस्तावेजों सहित जमा किया जाना है तथा उक्त को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, एस.सी.ओ. 4-7, सेक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017 में भेजा जा सकता है। नि वदा का ब्यौरा निम्न लखत अनुलग्नकों में दर्शाया गया है। बोली लगाने से पहले कृपया इसके साथ संलग्न अनुलग्नक पढ़ें।

- अनुलग्नक-1 : अनुदेश तथा नि वदा का आमंत्रण
- अनुलग्नक-2 : बोलीकर्ता द्वारा नियम एवं शर्तों की स्वीकृति
- अनुलग्नक-3 : तकनीकी बोली
- अनुलग्नक-4 : बोलीकर्ता का अनुभव
- अनुलग्नक-5 : सामान्य सूचना तथा नि वदा के नियम व शर्तें
- अनुलग्नक-6 : मसौदा नमूना एग्रीमेंट
- अनुलग्नक-7 : वृत्तीय बोली
- अनुलग्नक-8 : हाउसकी पंग स्टॉफ/जनशक्ति हेतु मासिक वेतन

[महत्वपूर्ण तिथियां (खंड)]

निवदा संख्या	
संगठन का नाम	कर्मचारी भवष्य निध संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017
प्रकाशन की तिथि	15.03.2018
बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि	15.03.2018
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.04.2018 (प्रातः 11:00 बजे)
तकनीकी बोलियां खोलने की तिथि व समय	11.04.2018 (दोपहर 3:00 बजे)
पत्राचार हेतु पता	कर्मचारी भवष्य निध संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017 दूरभाष : 0172-2701355 टेलीफैक्स : 0172-2710453

1. निवदा फॉर्म/खोलीदाता दस्तावेज वेबसाइट www.epfindia.gov.in डाउनलोड कर जा सकते हैं। निवदाकर्ताओं/खोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नियमत तौर पर वेबसाइट www.epfindia.gov.in का मुआयना करें। निवदा जांच में कोई भी बदलाव/संशोधनों को इस वेबसाइट के माध्यम से शुद्धपत्र के द्वारा ही सूचित किया जाएगा।
2. निवदा शुल्क : निवदा शुल्क के तौर पर 200/- रुपये (दो सौ रुपये केवल) (जो कि वापसी योग्य नहीं हैं) का डमांड ड्राफ्ट/चे ऑर्डर, 'क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़' के पक्ष में, जो कि चण्डीगढ़ में देय हो, संलग्न करें व उक्त को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017 को भेजें। निवदा शुल्क के बिना प्राप्त होने वाली निवदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी स्थिति में, बोली खुलने के दिन सरकार द्वारा यदि कोई छुट्टी घोषित की जाती है तो निवदाएं अगले कार्यदिवस पर उसी समय खोली जाएंगी। क.भ.नि.सं. किसी भी या सभी निवदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. बयाना राश : इच्छुक फर्मों को निवदा दस्तावेजों सहित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डमांड ड्राफ्ट/चे ऑर्डर के रूप में 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये केवल) की बयाना राश 'क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़' के पक्ष में, जो कि चण्डीगढ़ में देय हो, जमा कराना आवश्यक है तथा उक्त को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त का कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017 को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् 11.04.2018 तक या पहले भेजें। अनुबंध प्रदान करने पर बयाना राश

उस पर बिना कोई ब्याज दिए वापस कर दी जाएगी व उक्त को नियमों के अनुसार ही जप्त किया जाएगा । बयाना राश के बिना प्राप्त होने वाली निवदाओं पर वचार नहीं किया जाएगा ।

5. सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र.भ.नि.आ., चण्डीगढ़ के अधीन स्वीकृत संवदागत जनशक्ति पद के अंतर्गत अनुबंध के तहत जनशक्ति सेवाओं के बिन्दुओं को, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ की आवश्यकता के अनुसार बढ़ा/घटा सकता है तथा एजेंसी जनशक्ति को तदनुसार तैनात करेगी ।

क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त-।



कर्मचारी भवष्य नि ध संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर-17डी, चण्डीगढ़-160017

REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017

www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

दूरभाष/ Telephone : 271190, 2701158, 2701135 फैक्स/Fax : 2710453

क.भ.नि.चण्डी.प्रशासन-1/

दिनांक :

जनशक्ति सेवाओं (सक्योरिटी गार्ड, हाउसकी पंग, एम.टी.एस. तथा अन्य ट्रेड कार्य) के लए नौकरी/कार्य अनुबंध प्रदान करने के लए नि वदा नोटिस तथा अनुदेशों वाले नियम व शर्तों को खोलने हेतु आमंत्रण

से :

कर्मचारी भवष्य नि ध संगठन,

क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़,

एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017

सेवा में,

महोदय,

क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017 तथा पटियाला व मंडी गोबिन्दगढ़ स्थित इसके जिला कार्यालयों में उपरोक्त के रूप में नौकरी/कार्य अनुबंध प्रदान करने के अनुबंध के लए क्षेत्रीय भवष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ की ओर से नि वदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

1. सं वदा के नियम व शर्तें क्षेत्रीय भवष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा नि वदाओं के लए लागू अनुबंध की उन सामान्य शर्तों में निहित हैं जो क नि वदा फार्मों व इसके कार्यक्रमों में वर्णित हैं । कृपया डीपी दरों पर सेवा शुल्क के लए अपने दरों को प्रस्तुत करें, जो संबंधित वभागों के भीतर वैधानिक भुगतान से संबंधित है जैसे क ईपीएफ, ईएसआईसी और अन्य मजदूरी नि वदा फॉर्म का प्रभार, यदि आप संलग्न अनुसू चयों में बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार अपे क्षत सेवाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं।

2. बोलियों के साथ 'क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़' को देय डमांड ड्राफ्ट/ये ऑर्डर के रूप में 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये केवल) की बयाना राश अवश्य संलग्न होनी चाहिए। सशर्त बोलियों पर वचार नहीं किया जाएगा। निवदा दस्तावेजों में कोई अधलेखन (ओवर-राइटिंग) या कांट-छांट की अनुमति नहीं है। ऐसी बोलियों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ को बिना कोई कारण बताए बोली को निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
3. निवदाकर्ता को उसके भाग के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निवदाएं देने की अनुमति दी जा रही है कि अपनी निवदाएं प्रस्तुत करने के पश्चात, वह उसके प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेगा या नियमों और शर्तों को संशोधित नहीं करेगा। यदि निवदाकर्ता पूर्वगामी शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा बयाना राश जब्त कर ली जाएगी। निवदाकर्ता द्वारा कए गए प्रस्ताव को अस्वीकृत कए जाने की स्थिति में, निवदाकर्ता द्वारा जमा बयाना राश को उसके द्वारा निर्धारित तरीके से आवेदन करने पर उसे वापस कर दिया जाएगा।
4. निवदा फॉर्म की अनुसूचियां/अनुलग्नक सभी मामलों में वधवत भरे होने चाहिए। आवश्यक उद्देश्यों के लिए अनुसूची/अनुलग्नक फार्म पर दी गई जगह अपर्याप्त होने की स्थिति में, अतिरिक्त पृष्ठों को जोड़ा और/या अपलोड किया जा सकता है। प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ को लगातार क्रमांकित किया जाना चाहिए और निवदाकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, निवदा प्रपत्र में अतिरिक्त पृष्ठों का संदर्भ होना चाहिए। यदि अनुसूची के किसी भी संशोधन को आवश्यक माना जाता है, तो इसे निवदाओं के साथ एक अलग पत्र के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए।
5. यदि निवदा फार्म में आवश्यक जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई है या यदि निवदाओं के लिए अनुसूचियों/अनुलग्नकों में पूछे गए ववरण पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं तो निवदाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। अनुबंध से संबंधित निवदा या अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट करना होगा कि क्या वह (i) फर्म का एकमात्र मालक है या इस तरह के एकमात्र मालक का गठित वकील या (ii) फर्म का एक साथी अगर यह साझेदारी हो तो उस मामले में उसे साझेदारी समझौते या सजगता की शक्ति के आधार पर भागीदारी के संबंध में मध्यस्थता ववाद का उल्लेख करने का अधिकार होना चाहिए या (iii) फर्म का गठित वकील अगर यह एक कंपनी है।
6. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा अनुबंध प्रदान करने संबंधी पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर यदि कोई निवदाकर्ता प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो प्रस्ताव को बिना किसी सूचना के वापस लया गया माना जाएगा और बयाना राश जब्त कर ली जाएगी।
7. साझेदारी फर्मों के मामले में, जहां साझेदारी के व्यवसाय से संबंधित निवदा / अनुबंध को निष्पादित करने के लिए किसी भी भागीदार को कोई अधिकार नहीं दिया गया है,

नि वदाएं और अन्य सभी संबंधित दस्तावेज फर्म के हर भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए । अन्य की ओर से नि वदा फार्म या अनुबंध का हिस्सा बनने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की यह गारंटी मानी जाएगी क उसके पास इस तरह के अन्य लोगों को बाध्य करने का अधिकार है और अगर जांच में यह प्रकट होता है क ऐसा करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, तो क्षेत्रीय भवष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ अन्य सबल और आपराधिक उपचार के लए पूर्वाग्रह के बिना अनुबंध रद्द करेगा और सभी लागतों और नुकसानों के लए हस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी होगा ।

8. बोलियां, दो-बोली प्रणाली (तकनीकी बोलियां तथा वतीय बोलियां) के अंतर्गत आमंत्रित हैं। तकनीकी तथा वतीय दोनों बोलियां दो लफाफों में प्रस्तुत की जा सकती हैं । तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात, वतीय बोली को खोला जाएगा । केवल उन बोलीकर्ताओं की वतीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी रूप से योग्य हैं ।
9. नि वदाओं में नौकरी/सेवा अनुबंध के लए प्रत्येक फर्म द्वारा उद्धृत दरें शब्दों और अंकों दोनों में दी हुई होना चाहिए जिसके बिना नि वदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । नि वदाएं निर्धारित तिथि व समय पर खोली जाएंगी ।
10. सं वदा के वार्षिक मूल्य के 5% के बराबर राश को चयनित एजेंसी/सफल नि वदाकर्ता द्वारा क्षेत्रीय भवष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ से संचार प्राप्त करने के बाद ही प्रदर्शन सुरक्षा जमा के रूप में जमा करना है । उक्त राश जमा न करने की दशा में, बयाना राश जब्त कर ली जाएगी व नि वदा को दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाले को दे दिया जाएगा ।
11. नि वदाकर्ता को सुरक्षा जमा तथा बयाना राश जमा पर क्षेत्रीय भवष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
12. सं वदागत जनशक्ति को मासिक वेतन का भुगतान डीसी दरों पर करना होगा, जैसा क नि वदा दस्तावेज के अनुबंध "8" में निर्दिष्ट किया गया है, जिसकी ठेकेदार को बिल जमा करने पर प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी । नि वदा एजेंसी इस कार्यालय में उसके द्वारा तैनात कर्मियों के संबंध में न्यूनतम वेतन, क.भ.नि. व क.रा.बी.नि. से संबंधित सभी सां व धक प्रावधानों के अनुपालन के लए जिम्मेदार होगी । मजदूरी इत्यादि में कोई भी सां व धक वृद्ध सेवा प्रदाता द्वारा अवशोषित करने के लए है तथा काम में लगी जनशक्ति के भुगतान की दिशा में वृद्ध खंड समय-समय पर लागू अनुबंध की अवध के दौरान किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
13. सरकार के नियमों के अनुसार समय-समय पर लागू जीएसटी या किसी भी अन्य टैक्स को, सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नियमों/निर्देशों के अनुसार, सफल नि वदाकर्ता द्वारा स्वयं जमा किया जाएगा ।

14. व्यय वभाग, वत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29(1)/2014-पीपीडी दिनांक 28.01.2014 के अनुसार 'शून्य' प्रभारों/प्रतिफलों को उद्धृत करने वाली बोलियों को अनुक्रयाशील बोली के रूप में माना जाएगा और इन पर वचार नहीं किया जाएगा ।
15. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ को किसी भी उचित कारणों के लिए अनुबंध की अवध को कम करने या समाप्त करने या क्षे.भ.नि.आ., चण्डीगढ़ के हित में इसकी अवध बढ़ाने का अधिकार होगा तथा निवदाकर्ता को सूचित किया जाना अनिवार्य नहीं है ।
16. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ का निर्णय अनुबंध के किसी भी पहलू के लिए अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । अनुबंध पर उत्पन्न किसी भी ववाद, यदि कोई हो, का पारस्परिक परामर्श द्वारा निपटारा किया जाएगा तथा निपटारा न होने की स्थिति में, ववादित मामला क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा नियुक्त कए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा । ऐसे नियुक्त कए गए मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा नियंत्रित की जाएगी ।
17. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा स्वीकृति फैक्स/ई-मेल, अभिव्यक्ति पत्र या संचार के किसी अन्य माध्यम या पोर्टल पर अपलोड द्वारा भेजी जाएगी । निवदाकर्ता को औपचारिक स्वीकृति पत्र और कार्य आदेश जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा परन्तु फैक्स/ई-मेल, अभिव्यक्ति पत्र इत्यादि में पहले दिए गए निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ।
18. कार्यालय स्वयं को सबसे कम या कन्हीं अन्य निवदाओं को स्वीकार करने हेतु प्रतिज्ञाबद्ध नहीं करता है और स्वयं को उचित कारणों को ध्यान में रखते हुए निवदाओं के किसी भाग या संपूर्ण निवदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
19. प्रधान नियोक्ता के रूप में अपनी क्षमता में क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ इस दस्तावेज में आगे दिए गए अनुलग्नकों में उल्लिखित अनुबंध और शर्तों को नौकरी/कार्य के हित में अपने ववेक के अनुसार संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
20. तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/याउचर अपलोड कए जाने आवश्यक हैं :

(अनुसूची-1) :-

(ए) चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीन फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र ।

(बी) पछले प्रत्येक तीन वतीय वर्षों के दौरान, फर्म का न्यूनतम कारोबार 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये केवल) से कम नहीं होना चाहिए । चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पछले तीन वर्षों के लिए फर्म के प्रमाणित शेष-पत्र और लाभ और हानि खाते को समर्थन में प्रदान किया जा सकता है ।

- (सी) केन्द्र सरकार स्थापनाओं/भारत सरकार के स्वतंत्र निकायों/भारत सरकार के निगमों/प्रतिष्ठित सार्वजनिक व निजी संगठनों, बैंकों इत्यादि में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में पछले तीन वर्षों का फर्म का सतत अनुभव ब्यौरे सहित सारणीय रूप में संलग्न करें ।
- (डी) संतोषजनक सेवाओं की व धवत प्रमाणित प्रतियां जहां निवदाकर्ता पछले तीन वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहा है ।
- (ई) कंपनी/फर्म/एजेंसी क.भ.नि. व क.रा.बी.नि. अधिनियम (प्रति ल प अपलोड करें) के तहत उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकृत होनी चाहिए ।
- (एफ) यदि कोई भी (पी.ए.एन., टी.ए.एन. नंबर तथा जी.एस.सी. पंजीकरण संख्या प्रस्तुत की जाए व प्रति ल प अपलोड की जानी चाहिए) लागू हो तो फर्म/एजेंसी/कंपनी को आयकर व जी.एस.टी. के साथ पंजीकृत होना चाहिए ।
- (जी) नियम व शर्तों को स्वीकार करने संबंधी प्रमाणपत्र भी अपलोड किया जाना चाहिए ।
21. सफल निवदाकर्ता को कार्य हेतु क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के साथ 100/- रुपये (सौ रुपये केवल) के गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर एक वस्तुतः अनुबंध समझौता करना होगा ।
22. केवल उन फर्मों को वतीय बोली के लिए वचार किया जाएगा जो तकनीकी बोली में योग्य हैं ।
23. फर्म को सभी नियमों और शर्तों के स्वीकृति के रूप में निवदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मोहरबंद करना चाहिए तथा निवदा के नियम व शर्तों को स्वीकार करने के लिए कार्यालय में प्रस्तुत करने चाहिए ।

क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त-।

क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चंडीगढ़ तथा पटियाला व मंडी गोबिन्दगढ़ स्थित इसके जिला कार्यालयों में जनशक्ति के लिए नौकरी/कार्य अनुबंध प्रदान करने के लिए निवेदन

पोस्ट बॉक्स संख्या के अलावा निवेदक/कर्ता का पूरा नाम और पता, यदि कोई हो, इस कार्यालय में सभी संचार में उद्धृत किया जाना चाहिए।

दूरभाष संख्या :

ई-मेल पता :

से _____

सेवा में,

क्षेत्रीय भवष्य निधि आयुक्त,
चण्डीगढ़।

मैंने/हमने क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017 तथा पटियाला व मंडी गोबिन्दगढ़ स्थित इसके जिला कार्यालयों में जनशक्ति प्रदान करने के लिए सामान्य सूचना के संबंध में तथा संवेदन के अन्य नियम व शर्तों के संपूर्ण विवरण को पढ़ा है तथा इसके साथ-साथ अनुसूची/अनुलग्नकों में दिए गए ब्यौरे के अनुसार या ऐसे किसी भाग के लिए, जैसा कि आप इस निवेदन के अनुलग्नक 1-8 में दी गई दरों पर निवेदन की स्वीकृति में निर्दिष्ट कर सकते हैं, सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं तथा मैं/हम इस प्रस्ताव को 90 दिनों तक खोलने के लिए सहमत हूँ। अनुबंध प्रदान किए जाने की स्थिति में, उद्धृत दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। मुझे/हमें निर्धारित समय के भीतर एक संचार स्वीकृति प्रेषण के द्वारा बाध्य किया जाएगा।

मैं/हम अनुबंध के लिए इन नियमों और शर्तों को समझता/समझते हैं/हैं और इन आवश्यकताओं के अनुसार दृढ़ता से सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करूंगा/करेंगे।

- ए. इस नि वदा के एक हिस्से से निम्न ल खत पृष्ठों को जोड़ा गया और भेजा गया है । इस नि वदा के साथ संलग्न अनुलग्नक _____ पृष्ठों पर हैं ।
- बी. इस नि वदा के साथ संलग्न प्रत्येक पृष्ठ मेरे/हमारे हस्ताक्षर हैं और कार्यालय की मोहर लगी है ।
- सी. क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ के पक्ष में _____ रुपये का पे-ऑर्डर/डी.डी. संख्या _____, जो क चंडीगढ़ में देय है, संलग्न है ।

भवदीय,

नि वदाकर्ता के हस्ताक्षर तथा मोहर

तकनीकी बोली

1. (ए) फर्म/एजेंसी का नाम
2. पोस्ट बॉक्स संख्या तथा दूरभाष संख्या, यदि कोई हो, सहित पूरा पता
 - (i) फर्म/एजेंसी की बनावट (प्रति ल प संलग्न) (i) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956
 - (ii) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (कृपया भागीदारों के नाम दें)
 - (iii) कोई अन्य अधिनियम
3. (i) साझेदारी फर्मों के लिए जो क भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत है, कृपया आगे बताएं क क्या मध्यस्थता के लिए साझेदारी एग्रीमेंट से उस साझेदार को प्रदत्त किया गया है जो निवदा पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
(ii) यदि उपर्युक्त उत्तर नकारात्मक में है तो क्या भागीदार को अधिकृत करने की सभी भागीदारों द्वारा निष्पादित न्यायवादी की कोई सामान्य शक्ति है, जिसने निवदाएं हस्ताक्षरित करने के लिए मध्यस्थता के लिए साझेदारी के कारोबार की निंदा करने के लिए ववाद का उल्लेख किया है। (iii) यदि बिन्दु (i) व (ii) का उत्तर सकारात्मक है, तो या तो साझेदारी एग्रीमेंट की या न्यायवादी की सामान्य शक्ति, जैसा भी मामला हो, की प्रति ल प प्रस्तुत करें।
(iii) प्रति ल प को नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए या इसके निष्पादन को हलफनामा द्वारा सभी भागीदारों द्वारा ठीक से मोहरदार पेपर (100/- रुपये) पर स्वीकृत किया जाएगा।
(iv) एजेंसी/फर्म के मालक/भागीदार का नाम, पता, दूरभाष नंबर या यदि एक कंपनी है तो कंपनी के निदेशक(निदेशकों) का ब्यौरा
5. अपने बैंक का नाम व पूरा पता
6. आपका स्थायी आयकर संख्या/सर्कल/वार्ड
(पी.ए.एन.टी.ए.एन. तथा जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति ल पयां प्रस्तुत करें)
7. एजेंसी/फर्म/कंपनी के स्थापना की तिथि

8. क्या सभी संबंधित सरकारी प्राधिकारियों (क.भ.नि.क.रा.बी.नि.) से पंजीकृत है तथा संवदा श्रम (वनियमन एवं उन्मूलन), अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस है ।
(पंजीकरण के सभी प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न करें)
- (i) क.भ.नि. कोड संख्या
(ii) क.रा.बी.नि. कोड संख्या
9. कोई अन्य संबंधित सूचना

भाग-II

10. क्या बयाना राश जमा करा भेज दी गई है हां/नहीं
(ड्राफ्ट नंबर/तिथि/जारीकर्ता बैंक का ब्यौरा लखें)

भाग-III

11. फर्म के प्रतिनिध का नाम व पता तथा क्या निवदाओं के खुलने के समय फर्म का प्रतिनिध उपस्थित होगा ?
12. अनुबंध के संबंध में कार्यालय के पते पर दौरा करने वाले स्थायी प्रतिनिध का नाम
- तिथि : _____
स्थान : _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कृपया निवदाकर्ता द्वारा जहां आवश्यक हो वहां क्रमांकित करने के लिए पूरक पृष्ठ जोड़ें ।

तकनीकी बोली हेतु जांच-सूची (ये दस्तावेज सी.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं)

क्र.स.	विवरण	क्या संलग्न है हां/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीन फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र		

2.	केन्द्र सरकार स्थापनाओं/भारत सरकार के स्वतंत्र निकायों/भारत सरकार के निगमों/प्रतिष्ठित सार्वजनिक व निजी संगठनों, बैंकों इत्यादि में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में पछले तीन वर्षों का फर्म का सतत अनुभव ब्यौरे सहित सारणीय रूप में संलग्न		
3.	संतोषजनक सेवाओं की व धवत प्रमाणत प्रतियां जहां नि वदाकर्ता पछले तीन वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहा है ।		
4.	आयकर तथा जी.एस.टी. व भागों के साथ फर्म/एजेंसी/कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (पी.ए.एन.टी.ए.एन. नंबर तथा जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या प्रस्तुत की जाए तथा उसकी एक प्रति ल प संलग्न/अपलोड की जाए)		
5.	क.भ.नि. व क.रा.बी.नि. अधिनियम के अंतर्गत उ चत प्रा धकारियों के साथ फर्म/कंपनी/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र		
6.	5000/- रुपये की बयाना रा श तथा 200/- रुपये का नि वदा शुल्क		
7.	नि वदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मोहर या इसका प्रमाणपत्र		

कए गए कार्य का न्यूनतम 3 वर्षों के अनुभव का ब्यौरा :

क्र. स.	वभाग/संगठन का नाम एवं दूरभाष नंबर सहित संपर्क व्यक्ति का नाम	अव ध		कार्यरत स्टॉफ की संख्या	अभ्युक्ति
		कहां से	कब तक		

(प्रा धकृत हस्ताक्षरकर्ता)

क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चंडीगढ़ तथा पटियाला व मंडी गोबिन्दगढ़ स्थित इसके जिला कार्यालयों में नौकरी कार्य सक्योरिटी गार्ड, हाउसकी पंग तथा अन्य जनशक्ति प्रदान करने के लए सामान्य सूचना एवं अन्य नियम व शर्तें

(सी) कार्य का क्षेत्र

- (i) व्यवसाय के अनुसार तथा क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ के निर्देशों के अनुसार कार्य का क्षेत्र

(डी) नियम व शर्तें :

1. नियुक्त कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर लागू डीसी दरों के बराबर होगा।
2. सेवाएं, एस.सी.ओ. 4-7, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़ - 160017 स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ तथा पटियाला व मंडी गोबिन्दगढ़ स्थित इसके जिला कार्यालयों में सप्ताह में 6 दिन (साप्ताहिक 48 घंटे) हेतु प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक प्रदान की जानी है। कभी-कभी, आकस्मिक कार्य हेतु, सेवाएं कार्यालय के घंटों और रववार और छुट्टियों के बाद भी प्रदान की जानी है।
3. अनुबंधित कर्मचारियों को क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ के सत्यापन/अनुशंसाओं पर डीसी दरों के अनुसार ओवरटाइम भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
4. डीसी दर या कसी अन्य परिस्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न कसी भी प्रकार का बकाया, क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को जारी कर दिया जाएगा।
5. निवदाकर्ताओं को केवल लागू सेवा प्रभारों या करों का भुगतान किया जाएगा।
6. उपर्युक्त व्यवसाय का वेतन समय-समय पर डीसी दरों के तहत अनुमोदित दरों के बराबर होगा।
7. कर्मचारियों को उपस्थिति का कड़ाई से पालन करना होगा और जब भी कोई कर्मचारी इस कार्यालय को सूचना के तहत छुट्टी पर जाएगा तो एजेंसी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी।
8. कर्मचारियों की बदली क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन से होगी।
9. क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को कसी भी या सभी कोटेशन को पूरे या कुछ हिस्सों में इसके लए कारण बताते हुए अस्वीकार करने का अधिकार होगा। क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ का निर्णय अंतिम होगा तथा संवदा के अंतर्गत आवृत खंडों के संबंध में ठेकेदार/एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

10. उपलब्ध करवाए गए स्टॉफ को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के परिसर में अनुशासन बनाए रखना होगा ।
11. उपलब्ध करवाया गया स्टॉफ हिंदी व अंग्रेजी को पढ़ने व लिखने में सक्षम होना चाहिए ।
12. एग्रीमेंट किसी भी तरफ से एक महीने के नोटिस के साथ समाप्त हो सकता है । इस अनुबंध की समाप्ति पर या अन्यथा समाप्त होने के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कर्मियों को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ में नियमित/अन्यथा क्षमता में किसी भी अवशोषण के लिए कोई हक नहीं होगा और वे ऐसा दावा नहीं करेंगे ।
13. ठेकेदार क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ की पूर्व लिखित अनुमति के बिना काम को आगे ठेके पर नहीं देगा ।
14. ठेकेदार या उसके मजदूरों द्वारा उनको आबंटित परिसर का उस कार्य, जिसके लिए अनुबंध प्रदान किया गया है, के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा ।
15. चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रचलित श्रम कानूनों के अनुसार चयनित एजेंसी क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ कार्यालय में आवश्यक कर्मियों को उपलब्ध करवाएगी । एजेंसी केवल वयस्कों को नियोजित करेगी जो अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छे और व्यवसनीय व्यक्ति हैं । यदि उपलब्ध कराए गए कर्मियों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ को बिना कोई कारण बताए उसके प्रतिस्थापन के लिए कहने का अधिकार होगा और एजेंसी को ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रतिस्थापित करना होगा ।
16. इस अनुबंध के तहत एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए कार्मिक क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के कर्मचारी नहीं होंगे तथा क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ व ठेकेदार द्वारा उपरोक्त सेवाओं में लगाए गए ऐसे व्यक्तियों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होगा । सभी उद्देश्यों हेतु वे ठेकेदार के कर्मचारी होंगे । क.भ.नि.क्र.रा.बी.नि. योगदान प्रस्तुत करने के लिए संवदात्मक कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए भुगतान वाउचर और ईपीएफ/ईएसआईसी चालानों के साथ-साथ सेवा अनुबंध के लिए भुगतान, जनशक्ति के उपस्थिति पत्रों सहित पूर्व-पावती बिल जमा करने पर मासिक तौर पर दिया जाएगा ।
17. ठेकेदार उनके द्वारा नियोजित/सौनात किए जाने वाले श्रमकों की मजदूरी और सेवा शर्तों के संबंध में कार्य निष्पादन के लिए संबंध में अपने सभी कानूनी दायित्वों का निर्वहन करेगा तथा सभी नियमों और वनियमों व समय-समय पर लागू होने वाले कानून के प्रावधानों का भी पालन करेगा ।
18. समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार ठेकेदार के संबंध में टी.डी.एस. की कटौती की जाएगी ।
19. सफल बोलीदाता द्वारा अपनी तरफ से जीएसटी को एकत्रित कर भुगतान किया जाएगा ।

20. सबसे कम वतीय नि वदाओं में बराबरी (tie) के मामले में, क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को कसी भी बोलीदाता को चुनने का अ धकार होगा ।
21. चयनित एजेंसी को क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ कार्यालय में आवश्यक क र्म्यों को उपलब्ध कराना होगा । चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रच लत श्रम कानूनों के अनुसार, एजेंसी 21 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में अच्छे स्वास्थ्य वाले वशवसनीय व्यक्तियों को नियोजित करेगी । उपलब्ध करवाया गया कोई कर्मचारी यदि क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को बिना कोई कारण बताए प्रतिस्थापन के लए पूछने का अ धकार होगा और एजेंसी को ऐसे क र्म्यों को तुरंत प्रतिस्था पत करना होगा ।
22. जो खम खंड : यदि सेवाओं को असंतोषजनक पाया जाता है तो कारण-बताओ नोटिस, जिसका उत्तर एक सप्ताह के भीतर दिया जाना है, के द्वारा क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को कसी भी समय सेवा को बंद करने का अ धकार होगा तथा वर्तमान एजेंसी के जो खम और लागत पर, कसी भी अन्य एजेंसी को अनुबंध देने का अ धकार भी होगा और इसके कारण कए गए अतिरिक्त व्यय की, सुरक्षा जमा या लंबित बिलों से या एक अलग दावे को प्रस्तुत कर वसूली की जा सकती है ।
23. सेवा प्रदाता एजेंसी, उसके द्वारा तैनात कए गए क र्म्यों से संबंधत शकायतों के निवारण/ववादों के समाधान हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी तथा क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ ऐसे मामलो के निपटारे के लए कसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
24. ठेकेदार/एजेंसी, क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को प्रायोजित क र्म्यों के नाम, आयु, फोटो, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर आदि के ववरण सहित संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे और पु लस से ऐसे क र्म्यों के पूर्ववर्ती दस्तावेजों का सत्यापन भी सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा क उनके पास क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ कार्यालय में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लए अपे क्षत अनुभव है ।
25. टेंडरिंग एजेंसी परिषद में संबंधत कर संग्रह प्रा धकरणों को प्रदान की गई सेवा की एवज में समय-समय पर प्रच लत नियमों और वनियमों के अनुसार सभी करों, उपकर इत्यादि जमा करने के लए उत्तरदायी होगा ।
26. उपलब्ध करवाए गए कर्मचारी ठेकेदार/एजेंसी के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे । हालां क, वे क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा अ धकृत अ धकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए मौ खक और ल खत निर्देशों का पालन करेंगे । क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा निर्धारित कए गए कार्यालय समय, इयूटी, प्लेसमेंट, स्थान आदि के द्वारा वे बाध्य होंगे ।
27. ठेकेदार/एजेंसी अपने खाते में प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले अपने क र्म्यों को पारिश्र मक/मजदूरी का भुगतान करेगी । भुगतान करने के पश्चात, ठेकेदार तय रा श के

भुगतान के लए क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को बिल प्रस्तुत करेगा । वे ईपीएफ/ईएसआईसी अंशदान जमा करने के लए चालान की प्रति के साथ क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को प्रति माह मजदूरों को कए गए भुगतान वाउचर की एक हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेंगे ।

28. क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों की कसी भी हानि, चोरी या जीवन को नुकसान और/या क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ की संप त्त को नुकसान का मुआवजा ठेकेदार/एजेंसी द्वारा दिया जाएगा यदि इस तरह का नुकसान, चोरी या क्षति ठेकेदार/एजेंसी द्वारा तैनात क र्मयों की चूक, लापरवाही या भूल के कारण हुई है।
29. इस अनुबंध से जुड़े कसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में, अनुबंध के वलोपन के अतिरिक्त ठेका एजेंसी की सुरक्षा जमा को जब्त कर लया जाएगा ।
30. नि वदा दस्तावेजों में निहित नियम और शर्तें और इसके साथ संलग्न, एग्रीमेंट का हिस्सा होंगी ।
31. सक्षम प्रा धकारी आवश्यकता के अनुसार सं वदा के अधीन पदों में वृद्धि कर सकता है तथा फर्म, जनशक्ति को तदनुसार तैनात करेगी ।
32. क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ के साथ नियोजित कर्मचारियों के लए न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान कया जाएगा । लागू मजदूरी दर, जब भी संशोधित की जाएगी, का भुगतान क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ के साथ नियोजित कर्मचारियों को कया जाएगा तथा ठेकेदार इसकी प्रतिपूर्ति के लए अपने बिल में इसका दावा करेगा । वर्तमान न्यूनतम वेतन दर के आधार पर मजदूरी की गणना (नियोक्ता के भाग, सेवाकर/जी.एस.टी.प्रति अंक प्रति माह) की जाएगी ।
33. यदि कोई कर्मचारी कार्यालय/कार्य को लंबे समय तक छोड़ देता है, तो क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ को अग्रम रूप से सू चत करना आवश्यक है व उपयुक्त प्रतिस्थापन अग्रम में व्यवस्थित कया जाना चाहिए । यदि कार्यालय में तैनात कोई कर्मचारी स्थायी रूप से छोड़ने के लए तैयार है तो कर्मचारी व ठेकेदार को पहले से कार्यालय को सू चत करना होगा और ठेकेदार द्वारा उपयुक्त प्रतिस्थापन भेजा जाना चाहिए । कार्यालय को छोड़ने से पहले स्टाफ को सभी आ धकारिक दस्तावेज/संप त्त/उपभोग्य वस्तु आदि को प्रेषित/जमा करना होगा, ऐसा न करने पर सक्षम प्रा धकारी द्वारा ठेकेदार पर तय कया गया उ चत दंड लगाया जाएगा/कार्रवाई की जाएगी ।
34. कार्यालय में तैनात कर्मचारी, कसी भी आ धकारिक संप त्त को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे/हेरफेर नहीं करेंगे, ऐसा न करने पर सक्षम प्रा धकारी द्वारा ठेकेदार पर तय कया गया उ चत दंड लगाया जाएगा/कार्रवाई की जाएगी ।
35. ईपीएफ/ईएसआईसी वभाग के वनियमों के अनुसार ईपीएफ/ईएसआईसी इत्यादि लागू होंगे ।

अनुबंध की अव ध :

36. अनुबंध आरंभ में एग्रीमेंट की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। पारस्परिक सहमति और ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय भवण्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा तय की गई अव ध के लिए अनुबंध उन्हीं नियम व शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

37. एग्रीमेंट (अनुलग्नक-6) अनुबंध का भाग है तथा इसके नियम व शर्तें भी अनुबंध का हिस्सा हैं।

38. क्षतिपूर्ति परिसमाप्ति खंड

(i) एजेंसी द्वारा तैनात जनशक्ति के किसी भी प्रकार के दुरु्यवहार/क्रदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत प्रतिस्थापित करना होगा।

(ii) यदि श्रमकों/पर्यवेक्षक की आवश्यक संख्या न्यूनतम से कम है तो दंड स्वरूप प्रतिदिन प्रति कार्यकर्ता 300/- रुपये की कटौती बिल से की जाएगी (संदर्भ खंड 37)।

क्षेत्रीय भवण्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को किसी भी या सभी अनुबंधों को पूरे या कुछ हिस्सों में इसके लिए कारण बताते हुए अस्वीकार करने का अधिकार होगा। क्षेत्रीय भवण्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ का निर्णय अंतिम होगा तथा संवदा के अंतर्गत आवृत्त कन्हीं खंडों के संबंध में ठेकेदार/एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

39. सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के रूप में फर्म को निवदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होंगे और क्षेत्रीय भवण्य निधि, चण्डीगढ़ को भेजना होगा।

40. **क्षतिपूर्ति प्रभार :** स्वयं के लिए वास्तविक स्वास्थ्य कारणों तथा वास्तविक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण के आधार पर केवल दो दिनों की छूट की अनुमति दी जाएगी। यह छूट एक प्रथा नहीं बननी चाहिए। केवल दुर्लभ परिस्थिति में इसकी अनुमति दी जाएगी तथा यह पूर्व सूचना और क्षेत्रीय भवण्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के सक्षम प्राधिकारी के वचार तथा अनुमोदन के अधीन होगी। यदि उक्त शर्त पूर्ण की जाती है तो 2 दिनों के लिए क्षतिपूर्ति खंड में छूट दी जाएगी। इन 2 दिनों के भीतर, फर्म प्रतिस्थापन भेजने के लिए उत्तरदायी है। यदि प्रतिस्थापन दो दिनों के भीतर नहीं भेजा जाता है, तो दो दिनों की छूट दिए बिना अनुपस्थिति की संपूर्ण अव ध हेतु क्षतिपूर्ति खंड @ 300/- प्रति दिन प्रति कार्यकर्ता लगाई जाएगी और बिल से कटौती की जाएगी।

41. तैनात कर्मचारियों से कमीशन : फर्म को कसी भी रूप में तैनात कए गए कर्मचारियों से कसी भी नाम से कमीशन की उगाही नहीं करनी चाहिए । अगर यह पाया जाता है क फर्म कर्मचारियों से कमीशन की उगाही कर रही है तो उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी जिसमें कानूनी कार्यवाही, निष्पादन सुरक्षा को जब्त करना, नि वदा रद्द करना और फर्म को काली सूची में डालना शा मल है ।

मसौदा नमूना एग्रीमेंट

यह एग्रीमेंट (स्थान) पर (माह/वर्ष) में (क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ में सक्षम प्राधिकारी का पदनाम) पहले भाग में इस पद में इसके उत्तराधिकारी, संपत्त-भागीदार इत्यादि शामिल हैं, के माध्यम से, क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ तथा (फर्म का नाम और पता) (यहां इसको बाद में फर्म बुलाया गया है) दूसरे भाग में इस पद में इसके अधिकृत प्रतिनिध, उत्तराधिकारी, संपत्त-भागीदार इत्यादि शामिल हैं, के बीच किया जाता है।

अब इसके द्वारा इस प्रकार से पार्टियों के बीच में सहमति हो गई है :

3. यह एग्रीमेंट दिनांक से प्रभावी होगा तथा एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा परन्तु अनुबंध समाप्त करने के अपने इरादों को लिखत में एक कैलेंडर माह का नोटिस देकर क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा समाप्त किया जा सकता है। परस्पर सहमति होने पर व ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन करने पर क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के निर्णय के अनुसार आगे की अवधि के लिए एग्रीमेंट को उन्हीं शर्तों पर नवीनीकृत/वस्तारित किया जा सकता है।
4. यह फर्म (स्थान) पर (कार्य की प्रकृति) प्रदान करने के लिए वार्षिक नौकरी/कार्य अनुबंध के लिए जिम्मेदार होगी।
5. फर्म सेवाओं और गेट सुरक्षा उद्देश्यों को प्रदान करने और पुलिस अधिकारियों से उनके चरित्र और पूर्ववर्तियों को सत्यापन करवाने के लिए इसके द्वारा नियोजित हर कार्यकर्ता का पूर्ण ववरण प्रदान करेगी।
6. परिसर में तैनात सभी कर्मियों को प्रत्येक समय और सभी उद्देश्यों के लिए फर्म के कर्मचारी माना जाएगा और किसी भी तरह से इस खाते पर कार्यालय की कोई देयता नहीं होगी।
7. यह फर्म सुनिश्चित करेगी कि कार्यालय में तैनात सभी व्यक्ति अच्छे चरित्र, अच्छे व्यवहार वाले और अन्यथा सक्षम और ऐसे कार्य करने के योग्य हैं जिसके लिए वे तैनात किए गए हैं।

8. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ को उनके द्वारा कसी भी कर्मचारी को अक्षम, आदेश न मानने वाला या कसी अन्य कारण से मानने पर, अपने परिसर से हटाने हेतु कहने का अधिकार होगा और ऐसे व्यक्ति को फर से क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ की सहमति के बिना तैनात नहीं किया जाएगा।
9. एजेंसी द्वारा तैनात जनशक्ति को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के कार्य दिवसों, समय और आवश्यकता के अनुसार काम करना होगा।
10. संवदागत जनशक्ति को डी.सी. दरों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा।
11. क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ में सेवाएं प्रदान करने के लिए नौकरी/कार्य अनुबंध के लिए मासिक समेकित प्रभार निवदा दस्तावेज में वर्णित नियमों व शर्तों तथा कार्य का क्षेत्र अनुलग्नक-5 के अनुसार है और फर्म को लागू जीएसटी और अन्य करों सहित सभी करों का भुगतान क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा किया जाएगा। फर्म प्रत्येक माह इस राश का बिल प्रस्तुत करेगी तथा क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा अनुबंधित नौकरी/कार्य/सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन/वतरण के अधीन फर्म को क्रॉस चैक भुगतान के रूप में राश का भुगतान किया जाएगा। क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए फर्म द्वारा नियोजित श्रमकों को भुगतान करने के पश्चात फर्म द्वारा दस्तावेजी प्रमाण सहित बिल प्रस्तुत किया जाएगा। दस्तावेजों की प्रतियां जैसे जमा चालान, साथ ही संबंधित एजेंसियों के साथ ईएसआईसी/ईपीएफ जमा दर्शाने वाली व्यक्तियों की सूची भी बिल के साथ जमा की जानी है।
12. एजेंसी के बिलों से समय-समय पर लागू दरों के अनुसार स्रोतों पर आयकर/टीडीएस की कटौती की जाएगी।
13. पक्षों के बीच ववाद के मामले में, मामले को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा कसी भी ववाद के कसी भी मामले में पक्षों के मध्य बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता व समझौता अधिनियम, 1996 के द्वारा शासित होगी।
14. फर्म क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के परिसर में प्रवेश के लिए कार्य पर लगे प्रत्येक श्रमक को पहचान पत्र जारी करेगी।
15. फर्म काम के उचित नियंत्रण और पर्यवेक्षण द्वारा एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

16. यदि फर्म इस एग्रीमेंट के कसी भी नियम और शर्तों को निष्पादित करने में वफल रहती है या अनुबंध का उल्लंघन करती है तो क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ इस अनुबंध को रद्द कर देगा और प्रदर्शन प्रतिभूति को जब्त कर लेगा ।
17. यह क फर्म अपने मजदूरों और उनके वेतन के संबंध में और सेवा शर्तों में, अपने सभी कानूनी दायित्वों को निभाने के लिए सहमत है और समय-समय पर उन पर लागू होने वाले सभी नियमों, वनियमों तथा कानून के प्रावधानों अर्थात् संवदा श्रम (वनियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, कर्मचारी भवष्य निध एवं ववध उपबंध अधिनियम, 1952 व कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि का पालन भी करेगी । फर्म व भन्न कानूनों के अंतर्गत दायित्वों के अनुपालन में असफल रहने पर या कार्यों/घूकों के कारण क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत है ।
18. यह भी सहमति हुई है क कसी भी परिस्थिति में, फर्म के कर्मचारियों/कामगारों को क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ का कर्मचारी नहीं माना/समझा जाएगा तथा केवल फर्म उनके पारिश्रमक, मजदूरी और अन्य लाभ आदि के लिए जिम्मेदार होगी । फर्म उसके कर्मचारियों/कामगारों द्वारा कए गए कसी भी दावे के वरूद्ध क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ को क्षतिपूर्ति देगा । फर्म के कर्मचारी/कामगार अवशोषण/नियमतीकरण का दावा नहीं करेंगे ।
19. यह अनुबंध शर्तों के अधीन है क फर्म इस अनुबंध से संबंधित लागू होने वाले सभी कानूनों और केंद्रीय सरकार/चण्डीगढ़ प्रशासन के उप-नियमों का पालन करेगी । क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ की संपत्ति के कसी भी नुकसान या क्षति के मामले में, जो क फर्म के कारण हुई है, तो फर्म से क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी ।
20. फर्म अपने अधिकार को स्थानांतरित नहीं करेगी या उप-अनुबंध नहीं करेगी ।
21. फर्म या उसके श्रमक कसी भी उद्देश्य, जिसके लिए अनुबंध दिया गया है, के लिए उनको आबंटित परिसर का दुरुपयोग नहीं करेंगे ।
22. सभी पहलुओं में उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु फर्म सेवा में अपना पूरा ध्यान समर्पित करेगी और वश्वास, पारिश्रम और ईमानदारी के साथ अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करेगी ।
23. कसी भी दुर्घटना के मामले में मजदूरों को मुआवजा, उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जीवन की हानि फर्म द्वारा वहन की जाएगी और कसी भी तरह से क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा नहीं ।

24. संगठन के साथ तत्काल संपर्क के लिए फर्म एक समन्वयक प्रदान करेगी ।
25. निवदा दस्तावेजों में निहित और इसके साथ संलग्न नियम और शर्तें, एग्रीमेंट का हिस्सा होंगी ।
26. चयनित एजेंसी, चण्डीगढ़ प्रशासन में प्रचलित श्रम कानूनों के अनुसार क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ कार्यालय में आवश्यक कर्मियों को तैनात करेगी । एजेंसी 21 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में अच्छे स्वास्थ्य वाले वश्वसनीय व्यक्तियों को नियोजित करेगी। उपलब्ध करवाया गया कोई कर्मचारी यदि क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ को बिना कोई कारण बताए प्रतिस्थापन के लिए पूछने का अधिकार होगा और एजेंसी को ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रतिस्थापित करना होगा ।
27. सेवाएं, सप्ताह में 6 दिन (साप्ताहिक 48 घंटे) हेतु प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक प्रदान की जानी है। कभी-कभी, आकस्मिक कार्य हेतु, सेवाएं कार्यालय के घंटों और रववार और छुट्टियों के बाद भी प्रदान की जानी है ।
28. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ की अनुशंसा/अनुमोदन पर स्टॉफ को ओवरटाइम भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।
29. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ द्वारा स्वीकृत संवदागत जनशक्ति पदों के अधीन क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ की आवश्यकता के अनुसार संवदा के अधीन बिन्दुओं को घटा/बढ़ा सकता है तथा फर्म को तदनुसार जनशक्ति तैनात करनी होगी ।
30. निवदा के नियम और शर्तों को संदर्भित/निर्दिष्ट किया जाएगा यदि किसी भी नियम और शर्तों को इस एग्रीमेंट में उल्लिखित/प्रतिबिंबित नहीं किया गया है । यह एग्रीमेंट निवदा दस्तावेजों का भाग है ।
31. क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ का सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ की आवश्यकता के अनुसार संवदा के अधीन बिन्दुओं/पदों को घटा/बढ़ा सकता है तथा फर्म को तदनुसार जनशक्ति तैनात करनी होगी ।
32. जुर्माना खंड : मुआवजा क्षतिपूर्ति खंड
 - (i) एजेंसी द्वारा तैनात जनशक्ति के किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार/क्रदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत प्रतिस्थापित करना होगा ।
 - (ii) यदि श्रमकों/पर्यवेक्षक की आवश्यक संख्या न्यूनतम से कम है तो दंड स्वरूप प्रतिदिन प्रति कार्यकर्ता 300/- रुपये की कटौती बिल से की जाएगी (संदर्भ खंड 31) । क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा संवदा

के अधीन निहित कसी खंड के संबंध में और संवदा के लए प्रासंगक कोई भी मामला ठेकेदार/एजेंसी पर बाध्यकारी होगा ।

33. क्षतिपूर्ति प्रभार : स्वयं के लए वास्तविक स्वास्थ्य कारणों तथा वास्तविक चक्त्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण के आधार पर केवल दो दिनों की छूट की अनुमति दी जाएगी । यह छूट एक प्रथा नहीं बननी चाहिए । केवल दुर्लभ परिस्थिति में इसकी अनुमति दी जाएगी तथा यह पूर्व सूचना और क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ के सक्षम प्राधकारी के वचार तथा अनुमोदन के अधीन होगी । यदि उक्त शर्त पूर्ण की जाती है तो 2 दिनों के लए क्षतिपूर्ति खंड में छूट दी जाएगी । इन 2 दिनों के भीतर, फर्म प्रतिस्थापन भेजने के लए उत्तरदायी है । यदि प्रतिस्थापन दो दिनों के भीतर नहीं भेजा जाता है, तो दो दिनों की छूट दिए बिना अनुपस्थिति की संपूर्ण अवध हेतु क्षतिपूर्ति खंड @ 300/- प्रति दिन प्रति कार्यकर्ता लगाई जाएगी और बिल से कटौती की जाएगी ।
34. तैनात कर्मचारियों से कमीशन : फर्म को कसी भी रूप में तैनात कए गए कर्मचारियों से कसी भी नाम से कमीशन की उगाही नहीं करनी चाहिए । अगर यह पाया जाता है क फर्म कर्मचारियों से कमीशन की उगाही कर रही है तो उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी जिसमें कानूनी कार्यवाही, निष्पादन सुरक्षा को जल्त करना, निवदा रद्द करना और फर्म को काली सूची में डालना शामिल है ।

जहां पार्टियों ने उपरोक्त बताए गए दिन, महीने और वर्ष में मौजूद उन लोगों की उपस्थिति में निष्पादित किया है ।

(फर्म का नाम व पता)

(क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ के लए) गवाह :-

1. _____

2. _____

वर्तीय बोली

सेवा में,

क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त,
चण्डीगढ़ ।

मैं/हम निम्न लखत दरों पर क्षेत्रीय भवष्य निध आयुक्त, चण्डीगढ़ में _____ के लए नौकरी/कार्य संवदा प्रदान के लए अपना/अपने अनुबंध प्रस्तुत करना चाहता/चाहते हैं ।

क्र.स.	ववरण	प्रति माह
1.	डीसी दरों पर प्रस्तावत सेवा शुल्कों का प्रतिशत (डी.सी. दरें + ईपीएफ + ईएसआईसी + अन्य श्रम प्रभार)	

यदि मैं/हम निवदा फॉर्म में निर्धारित पूरे या कुछ हिस्से में कसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में वफल रहता हूं तो मैं/हम अपनी बयाना राश को जब्त करवाने के लए सहमत हूँ/हैं ।

मैंने/हमने अनुबंध के नियम व शर्तों को सावधानी से पढ़ लिया है तथा पूरी तन्मयता से इनका पालन करने के लए सहमत हूँ ।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता _____

दूरभाष नंबर _____

मोबाइल नंबर _____

नोट : 'शून्य' प्रभारों/वचार को उद्धृत करने वाली बोलियों को अनुत्तरदायी माना जाएगा तथा उन पर वचार नहीं किया जाएगा ।

मा सक वेतन (प्रति बिन्दु)		
क्र.स.	ववरण	वेतन व भत्ते (रु.)
1.	चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार न्यूनतम मा सक वेतन	(डीसी दर के अनुसार परिवर्तित हो सकता है)
2.	लागू ईपीएफ	समय-समय पर लागू होने पर
3.	ईएसआई नियोक्ता का अंशदान	समय-समय पर लागू होने पर
4.	सेवा प्रभार	समय-समय पर लागू होने पर
5.	जी.एस.टी. अतिरिक्त लागू होने पर (क्र. स.5)	समय-समय पर लागू होने पर

नोट :

1. अतिरिक्त जी.एस.टी. व श्रम पहुँच लागू । सरकार द्वारा वनिय मत के अनुसार परिवर्तित हो सकती है ।
2. चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा न्यूनतम वेतन को रिवाईज कए जाने पर क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, चण्डीगढ़ में लागू न्यूनतम वेतन का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
3. बिल से स्त्रोत पर लागू करों जैसे क आयकर, टी.डी.एस. इत्यादि की कटौती की जाएगी ।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4.7, सेक्टर-17डी, चण्डीगढ़- 160017

REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

फैक्स / Fax :0172-2710453, दूरभाष / Telephone :0172-2701190, 2701158, 2701355



क्रमांक EPF/CHD/Admn – I/

दिनांक/Date:

NOTICE INVITING TENDERS

Online Bids, under two bid systems, on behalf of the EPFO, Regional office, Chandigarh are invited from interested registered/well-established/reputed manpower service providers through Tender enquiry for awarding of contract for outsourcing of manpower services for providing job/work contract for Security Guard, Housekeeping and other Manpower services at Regional Office, Chandigarh, situated at SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh.160017 and its District Offices situated at Patiala and Mandi Gobindgarh. Tender Documents along with a Demand Draft of Rs.5,000/- (Rupees Five thousand only) to be deposited as earnest money (EMD) in favour of 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh, at Chandigarh and same may be sent to office of The Regional P.F. Commissioner, SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh.160017 The details of tender is enumerated in the following annexures. Please read the annexures attached with it before bidding.

Annexure-I: Instructions and invitation of tender

Annexure-2 Acceptance of terms and conditions by bidder

Annexure-3 Technical bid

Annexure-4 Bidder's Experience

Annexure-5 General Information and terms and conditions of the tender

Annexure-6 Draft Specimen Agreement

Annexure-7 Financial Bid

Annexure-8 Monthly wages for Housekeeping Staff/Manpower

(CRITICAL DATE SHEET (SECTION))

Tender No.	
Name of Organization	Employees Provident Fund Organisation, Regional Office, Chandigarh, SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh.160017
Date for Publishing	15.03.2018
Bid Submission Start Date	15.03.2018
Bid Submission End Date	11.04.2018 (11:00 AM)
Date and Time for Opening of Technical Bids	11.04.2018 (03:00 PM)
Address for Communication	Employees Provident Fund Organisation, Regional Office, Chandigarh, SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh.160017 Tel: 0172-2701355, Tele-fax: 0172-2710453

1. The tender form/bidder document may be downloaded from the Website: . www.epfindia.gov.in. Tenderers/bidders are requested to visit the website: www.epfindia.gov.in regularly. Any changes/modifications in the tender inquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
2. Tender Fee: Please enclose DD/Pay Order of Rs.200/- (Rupees Two Hundred only) (Non-refundable) in favour of 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh' at Chandigarh as a Tender Fee and same be sent to Regional P.F. Commissioner, SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh.160017. Quotations received without Tender Fee will not be considered.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The EPFO reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. Earnest Money Deposit: The interested firms are required to deposit (in original) an Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.5, 000/- (Rupees Five Thousand Only) in the form of Demand Draft/Pay Order along with the Tender Documents from any of the Nationalized Bank in favour of 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh', at Chandigarh and same be sent to office of Regional P.F. Commissioner, SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh-160017 on or before bids submission closing date i.e. **11.04.2018**. EMD will be refunded after award of contract without any interest thereon and the forfeiture of the same will be as per the rules. Quotations received without EMD will not be considered.
5. The competent authority may within the contractual manpower post sanctioned under RPFC, Chandigarh, increase/decrease the points of manpower services under the contract as and when required in the 'Regional Office, Chandigarh and the agency will deploy the manpower accordingly.

Regional P.F. Commissioner-I



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

क्षेत्रीय कार्यालय, एस.सी.ओ. 4.7, सैक्टर-17डी, चण्डीगढ़- 160017

REGIONAL OFFICE, S.C.O. 4-7, SECTOR-17-D, CHANDIGARH-160017

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

फैक्स / Fax : 0172-2710453, दूरभाष / Telephon : 0172-2701190, 2701158, 2701355



कमांक EPF/CHD/Admn – I/

दिनांक/Date:

INVITATION TO OPEN TENDER NOTICE AND INSTRUCTIONS CONTAINING TERMS AND CONDITIONS FOR PROVIDING JOB/WORK CONTRACT FOR MANPOWER SERVICES (Security Guard, Housekeeping, MTS and other Trades Works)

From:

Employees Provident Fund Organisation,

Regional Office, Chandigarh, SCO.4-7, Sector-17,

Chandigarh.160017

To

Dear Sir(s),

Tenders are hereby invited on behalf of the RPFC, Chandigarh for contract of PROVIDING JOB/WORK CONTRACT FOR as above at Regional Office, Chandigarh, situated at SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh-160017 and its Offices situated at Patiala and Mandi Gobindgarh.

1. The terms and conditions of the contract are those contained in the general conditions of contract applicable to the contracts placed by the RPFC, Chandigarh as detailed in the tender forms and its schedules. Please submit your rates for service charges on the DC rates payable to respective trade over statutory payment to be made within department i.e. EPF, ESIC & other labour charges the tender form if you are in a position to furnish the requisite services in accordance with the requirements stated in the attached schedules.

2. An earnest money of Rs.5,000/- (Rupees Five thousand only) in the form of demand draft/pay order payable to 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh must be enclosed with the bids. Conditional bids shall not be considered. No overwriting or cutting is permitted in the tender documents. Such

bids will be rejected out rightly. RPFC, Chandigarh reserves the right to cancel/reject the bid without assigning any reason.

3. The tenderer is being permitted to give tenders in consideration of the stipulations on his part that after submitting his tenders, he will not resile from his offer or modify the terms and conditions thereof. If the tenderer fails to observe and comply with the foregoing stipulations the aforesaid amount of EMD will be forfeited by the 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh. In the event of the offer made by the tenderer not being accepted, the amount of earnest money deposited by the tenderer will be refunded to him after he has applied for the same, in the manner prescribed.

4. The schedules/annexures of the tender form should be duly filled in all respects. In the event of the space provided on the schedule/annexures form being insufficient for the required purposes, additional pages may be added and/or uploaded. Each additional page must be numbered consecutively and be signed in full by the tenderer. In such cases reference to the additional pages must be made in the tender form. If any modification of the schedule is considered necessary, it should be communicated by means of a separate letter along with the tenders.

5. The tenders are liable to be ignored if complete information as required is not given therein or if the particulars asked for in the schedules/annexure to the tenders are not fully filled in. Individual signing the tenders or other documents connected with the contract may specify whether he signs it in the capacity of (i) a sole proprietor of the firm or constituted attorney of such sole proprietor, or (ii) a partner of the firm if it be partnership in which case he must have the authority to refer to arbitration dispute concerning the partnership whether by virtue of the partnership agreement or power of attorney or (iii) constituted attorney of the firm if it is a company.

6. If a tenderer does not accept the offer, after issue of letter of award by RPFC, Chandigarh within 15 (Fifteen) days, the offer made shall be deemed to be withdrawn without any notice & earnest money will be forfeited.

7. In case of partnership firms, where no authority has been given to any partner to execute the contract/ agreement concerning the business of the partnership, the tenders and all other related document must be signed by every partner of the firm. A person signing the tender form or any other documents forming part of the contract on behalf of another shall be deemed to warranty that he has the authority to bind such other and if, on enquiry it appears that the persons so signing had no authority to do so, the RPFC, Chandigarh shall without prejudice to other civil and criminal remedies cancel the contract and hold the signatory liable for all costs and damages. Each page of the tenders and the schedules to the tenders and annexure(s), if any, should be signed by the tenderer.

8. Bids are invited under two-bid system (***Technical bids and financial bids***). Both technical and financial bids may be submitted in two envelops. After evaluation of technical bid, the financial bid will be opened. Financial bid will be opened only in respect of those tenderers who qualify technically.

9. The rates quoted by each firm for job/service contract in tenders are given both in words and figure failing which the same is liable to be rejected. Tenders will be opened on the schedule date and time.

10. An amount equivalent to 5% of the annual value of contract is to be deposited by the selected agency/ successful tenderer as Performance Security Deposit only after receiving a communication from the RPFC, Chandigarh. In the event of non-deposition of the same, the earnest money will be forfeited & tender will be awarded to the second lowest bidder.
11. No interest on security deposit and earnest money deposit shall be paid by the RPFC, Chandigarh to the tenderer.
12. Monthly wages to be paid to the contractual manpower will be at DC rates ***as specified in Annexurs "8 "*** of tender document which will be reimbursed to the contractor on submission of the bill. The tendering agency shall be responsible for compliance of all statutory provisions relating to minimum wages, EPF & ESI in respect of personnel deployed by it to this office. Any statutory increase in wages etc. is to be absorbed by the service provider and escalation clause towards payments to the engaged manpower shall not be accepted on any ground during the period the contract is in force from time to time.
13. The GST or any other tax which is applicable as per the rules of the Govt. of India from time to time shall be deposited by the successful tenderer himself, as per rules/ instructions made applicable from time to time by government.
14. In accordance with O.M. No. 29(1)/2014-PPD dated 28.01.2014 of Department of Expenditure, Ministry of Finance, bids quoting 'Nil' charges/consideration shall be treated as unresponsive bid and it will not be considered.
15. RPFC, Chandigarh reserves the right to reduce or terminate the period of contract or to extend its duration in the interest of the RPFC, Chandigarh, for any justifiable reasons and it is not mandatory to be communicated to the tenderer.
16. Decision of RPFC, Chandigarh shall be final for any aspect of the contract and binding on all parties. Disputes arising, if any, on the contract will be settled at his level by mutual consultation and in case of failure or settlement dispute shall be referred to the sole arbitrator to be appointed by the RPFC, Chandigarh. The decision of the sole arbitrator so appointed shall be final and binding on the parties. Arbitration proceeding shall be governed by the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time.
17. Acceptance by the RPFC, Chandigarh will be communicated by fax/email, express letter or any other form of communication or uploaded on the portal. Formal letter of acceptance and work order of the tenderer will be forwarded as soon as possible, but the earlier instructions in the fax/email, express letter etc. should be acted upon immediately.
18. The RPFC, Chandigarh does not pledge itself to accept the lowest or any other tenders and also reserved to itself the right of accepting the tenders whole or in part keeping in view valid reasons. Conditional tenders will not be accepted.
19. The RPFC, Chandigarh, in its capacity as Principal Employer, reserves the right to modify any of the terms and conditions of the contract as mentioned in further annexures of this document, at its discretion, in the interest of the job/work.
20. The following document/vouchers are required to be uploaded with the technical bid

(Schedule-I):-

- (a) Registration certificate of the firm under the Chandigarh Administration.
 - (b) Minimum turnover of the firm not less than **Rs.10,00,000/-** (Rupees Ten lakhs only) during each of the last three financial years. Certified balance sheet & Profit and Loss Account of the firm for last three year certified by chartered accountant may be provided in support.
 - (c) Last three year's continuous experience of the firm in the field of providing such services in Central Govt. establishments/ autonomous bodies of Govt. of India/corporations of Govt. of India/ reputed public or private organizations banks etc. with details in enclosed tabular form.
 - (d) Duly certified copies of the satisfactory services where the tenderer is providing the services for the last three years.
 - (e) The company/firm/agency should be registered with appropriate authorities under EPF & ESIC Act (a copy may be uploaded).
 - (f) The firm/agency/company should be registered with Income Tax and GST if any applicable (PAN, TAN number and GST registration no. may be furnished and a copy should be uploaded).
 - (g) A certificate for accepting the terms and conditions of the tender should be uploaded.
21. Successful tenderer will have to enter into a detailed contract agreement with 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh on non- judicial stamp paper of Rs. 100/- (One hundred only) for work.
22. Only those firms will be considered for financial bid who qualify in the technical bid.
23. The firm should sign and stamp all the pages of the tender documents as acceptance of all the terms and conditions and submit to 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh for accepting the terms and conditions of the tender.

Regional P.F. Commissioner-I

Annexure-2

TENDER FOR PROVIDING JOB/WORK CONTRACT FOR MENPOWER AT REGIONAL OFFICE, CHANDIGARH, SITUATED AT SCO.4-7, SECTOR-17, CHANDIGARH.160017 AND ITS DISTT. OFFICES SITUATED AT PATIALA AND MANDI GOBINDGARH.

Full Name & Address of the tenderer in addition to Post Box No., if any, should be quoted in all communications to this office :

Telephone No. :

E-Mail Address :

From _____

To,

The Regional P.F. Commissioner,

Chandigarh.

I/we have read all the particulars regarding the general information and other terms and conditions of the contract for providing manpower at **Regional Office, Chandigarh, situated at SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh.160017** and its Distt. Offices situated at **Patiala** and **Mandi Gobindgarh** and agree to provide the services as detailed in the schedule/annexures herein or to such portion thereof as you may specify in the acceptance of the tender at the rates given in **Annexure 1-8** to this tender and I/we agree to hold this offer open till 90 days. The rates quoted will be valid for a period of one year in the event of award of the Contract. I/we shall be bound by a communication acceptance dispatch within the prescribed time.

I/we have understood these terms and conditions for the contract and shall provide the best services strictly in accordance with these requirements.

- a. The following pages have been added & sent to and from a part of this tender. The annexures to accompany this tender are at pages_____.
- b. Every page so attached with this tender bears my/our signature(s) and the office seal.
- c. Pay order/ DD No._____ of Rs._____ drawn in favour of RPFC, Chandigarh and payable at Chandigarh is enclosed.

Yours faithfully

Signature and Seal of tenderer

1. (a) . Name of the Firm/Agency
2. Full address with Post Box No. and telephone no. if any.
1. (i) Constitution of the firm/ agency (Attached copy) (i) Indian Companies Act, 1956

(ii) Indian Partnership Act, 1932
(Please give names of partners)

(iii) Any other Act
3. (i) For Partnership firms whether registered under the Indian Partnership Act, 1932, please state further whether by the partnership agreement to arbitration has been conferred on the partner who has signed the tender.

(ii) If answer to the above is in negative. Whether there is any general power of attorney executed by all the partners of the firm authorizing the partner who has signed the tenders to refer dispute condemning business of the partnership to arbitration iii) If the answer to point (i) and (ii) above is affirmative, please furnish a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case may be.

(iii) The copy should be attested by a Notary Public or its execution would be admitted by affidavit on a properly stamped paper (Rs. 100/-). By all partner(s)

(iv) Name, address, tel. No. of the proprietor/partner of the agency/firm or if it is a company, the same details of the Director(s) of the company
5. Name and full address of your banker
6. Your permanent Income Tax No. / Circle/ Ward
Copies of PAN/TAN and GST registration to be submitted)
7. Date of establishment of the agency/firm/company

8. Whether registered with all concerned Government authorities (EPF/ESI etc.) and having license under Contract Labour (Regulation & Abolition), Act
(Copies of all certificates of registration to be enclosed)

- (i) EPF Code No.
- (ii) ESIC Code No.

9. Any other relevant information

PART-II

10. Earnest money deposited/sent Yes/No
(Write draft No./date/issuing bank details)

PART-III

11. Name and address of the firm's representative and whether the firm would be representing at the opening of the tenders

12. Name of the permanent representative to be visiting on office address regarding the contract
Date:

Place:

AUTHORISED SIGNATORY

Please add supplementary pages to be numbered wherever needed by the Tenderer.

Check-list for Technical Bids (these documents may be uploaded on cpp portal)

Sl.NO.	Particulars	Whether enclosed (Yes/No)	Page No.
1.	Registration certificate of the firm under the Chandigarh Administration		
2.	Last three year's continuous experience of the firm in the field of providing such services in Central Govt. establishments/ autonomous bodies of Govt. of India/corporations of Govt. of India/ reputed public or private organizations banks etc. with details in enclosed tabular form.		
3.	Duly certified copies of the satisfactory services where the tenderer is providing the services for the last three years.		

4.	Registration certificate of the firm/agency/company with Income Tax and GST departments (PAN, TAN number and GST registration no. may be furnished and a copy should be enclosed/uploaded)		
5.	Registration Certificate of the company/firm/agency with appropriate authorities under EPF & ESIC Act.		
6.	EMD of Rs.5,000/- and Tender Fee of Rs. 200/-		
7.	Signed & stamped copy of tender documents on each page or a certificate thereof.		

Annexure-4

Details of the Minimum 3 years' experience/work done.

S.NO	Name of the Deptt./ Organization & Name of contact Person with Ph. No.	Period		No. of staff deployed	Remarks
		From	To		

(Authorized Signatory)

GENERAL INFORMATION & OTHER TERMS & CONDITIONS OF PROVIDING JOB/WORK SECURITY GUARD, HOUSEKEEPING AND OTHER MANPOWER AT REGIONAL OFFICE, CHANDIGARH, SITUATED AT SCO.4-7, SECTOR-17, CHANDIGARH.160017 AND ITS DISTT. OFFICES SITUATED AT PATIALA AND MANDI GOBINDGARH.

(C) Scope of work

- (i) The scope of work will be as per trade and as per directions by RPFC, Chandigarh.

(D) Terms & Conditions:

1. The salary of the employees deputed shall be equal to the DC rates as applicable from time to time.
2. The services are to be provided at Regional Office, Chandigarh, situated at SCO.4-7, Sector-17, Chandigarh.160017 and its District Offices situated at Patiala and Mandi Gobindgarh for 6 days a week (48 hours weekly) from 9.00 A.M. to 5.30 P.M. Sometimes, in emergency of work, services are to be rendered beyond office hours and Sunday and holidays also.
3. Overtime time allowance as per DC rates shall be paid to the contractual employees on verification/recommendations of RPFC, Chandigarh. Every Bidder should have clear provisions to make such payment wherever required.
4. Any type of arrear arising due to change in DC rate or any other circumstances shall be released to the employees within 15 days of approval by RPFC, Chandigarh.
5. Only service charges or taxes as applicable shall be paid to the tenderers.
6. The wage of above trades will be equivalent to the rates as approved under DC rates from time to time
7. The staff shall follow strict attendance and alternative arrangements are to be made by the agency whenever any of staff goes on leave under intimation to this office.
8. Changing of staff shall be with the prior approval of RPFC, Chandigarh.
9. The RPFC, Chandigarh reserves the right to reject any or all quotations in whole or in part assigning reasons therefor. The decision of the 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh shall be final and binding on the contractor/ agency in respect of clauses covered under the contract.
10. The staff provided shall maintain discipline in the premises of RPFC, Chandigarh.
11. The staff provided shall be capable of reading and writing Hindi and English
12. The agreement is terminable with one month notice on either side. In case of termination of this contract on its expiry or otherwise, the personnel deployed by the service provider shall not be entitled to and have no claim for any absorption in the regular/otherwise capacity in RPFC, Chandigarh.

13. The contractor shall not sublet the work without prior written permission of the RPFC, Chandigarh.
14. The contractor or his workers shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which the contract is awarded.
15. The selected agency shall provide the necessary personnel at RPFC, Chandigarh as per labour laws prevalent in Chandigarh Administration. The agency shall employ adults only who are good and reliable persons with good health. In case any of the personnel so provided is not found suitable, The RPFC, Chandigarh shall have the right to ask for his/her replacement without giving any reason thereof and the agency shall have to replace such personnel immediately.
2. The personnel so provided by the agency under this contract will not be the employees of the RPFC, Chandigarh and there will be no employer-employee relationship between the RPFC, Chandigarh and the persons so engaged by the contractor in the aforesaid services. They shall be employees of the contractor for all purposes. Payment for service contract will be made monthly upon submission of pre-receipted bill along with attendance sheets of the manpower, payment vouchers duly signed by contractual employees and EPF/ESIC challans for submission of EPF/ESIC contribution..
17. The contractor will discharge all his legal obligations in respect of the workers to be employed/deployed by him for the execution of the work in respect of their wages and service conditions and shall also comply with all the rules and regulations, provisions of law in force that may be applicable to them from time to time. The contractor shall indemnify and keep indemnified the RPFC, Chandigarh from any claims, loss or damages that may be caused to it on account of any failure to comply with the obligations under various laws. In case of any dispute, the decision of RPFC, Chandigarh shall be final and binding on the contractor.
18. TDS in respect of contractor will be deducted as per rules applicable from time to time.
19. GST will be raised and paid by the successful bidder on its own.
20. In case of tie in the lowest financial bids, the decision of RPFC, Chandigarh will have the right to select any of the bidder.
21. The selected agency shall provide the necessary personnel at the RPFC, Chandigarh. As per labour laws prevalent in the Chandigarh Administration, the agency shall employ reliable persons with good health in the age group of 21 to 50 years. In case any of the personnel so provided is not found suitable by the RPFC, Chandigarh, the RPFC, Chandigarh shall have the right to ask for replacement without giving any reason thereof and the agency shall have to replace such personnel immediately.
22. Risk Clause: RPFC, Chandigarh reserves the right to discontinue the service at any time, if the services are found unsatisfactory by giving a show-cause to be replied within a week and also has the right to award the contract to any other agency at the risk and cost of current agency and excess expenditure incurred on account of this can be recovered from Security Deposit or pending bills or by raising a separate claim.
23. The service provider agency shall be solely responsible for the redressal of grievances/resolution of dispute related to personnel deployed and RPFC, Chandigarh shall in no way be responsible for settlement of such issues whatsoever.

24. The contractor/agency will furnish to the RPFC, Chandigarh the full particulars of the personnel sponsored, including details like name, father's name, age, photograph, permanent address, telephone number etc. and will also ensure the verification of the antecedents of such personnel from police and also ensure that they possess the requisite experience for rendering the requisite services to the RPFC, Chandigarh.
25. The tendering agency shall be liable for depositing all taxes, levies, cess etc. on account of service rendered by it to the Council to the concerned tax collection authorities from time to time as per extant rules and regulations on the matter.
26. The personnel provided shall be under the direct control and supervision of the contractor/agency. However, they shall comply with the oral and written instructions given on day to day basis, by the officer(s) authorized by the RPFC, Chandigarh from time to time. They will be bound by office timings, duty, placement, locations etc., as decided by The RPFC, Chandigarh.
27. The contractor/agency shall make payment of remuneration/wages to its personnel before 7th of every month in their account. After making the payment, the Contractor shall raise the bill on the RPFC, Chandigarh for payment of the settled amount. They will submit to the RPFC, Chandigarh a copy of the payment vouchers duly signed by the workers for each month along with copy of challans for submission of EPF/ESIC contribution.
28. Any loss, theft or damage to the life and/or property of the employees of the RPFC, Chandigarh and/or property of the RPFC, Chandigarh shall be compensated by the contractor/agency if the cause of such loss, theft or damage is on account of default, negligence and/or lapse of the personnel deployed by the contractor/agency.
29. In case of breach of any terms and conditions attached to this contract, the security deposit of the contracting agency will be liable to be forfeited by the RPFC, Chandigarh besides annulment of the contract.
30. The terms and conditions as stipulated in the tender documents and enclosed herewith, shall be part of the agreement.
31. The competent authority of may increase/decrease the posts under the contract as and when required and the firm will deploy the manpower accordingly.
32. The minimum wages rate will be paid for the staff employed with the RPFC, Chandigarh. The applicable wage rate will be paid to the staff employed with the RPFC, Chandigarh as & when revised and the contractor will claim it in his bill for reimbursement. The calculation of wages (including employer's share, service tax/GST per point per month) based on the present minimum wage rate.
33. If any staff left the office/work for longer period, it is required to inform RPFC, Chandigarh well in advance and suitable replacement should be arranged in advance. If any staff so deployed in the office is prepared to leave permanently, the staff as well as contractor should inform the office in advance and suitable replacement should be sent by the contractor. The staff should remit/deposit all the official documents/assets/consumables etc. before leaving the office failing which appropriate penalty/action as decided by the competent authority will be imposed upon contractor.

34. The staff so deployed in the office, will not damage/manipulate any of the official property failing which appropriate penalty/action as decided by the competent authority will be imposed upon contractor.

35. EPF/ESIC etc. will be applicable as per the regulation of EPF/ESIC department.

Contract period :

36. The contract will be initially valid for one year from the date of agreement. The contract may be further extended on the same terms and conditions for the further period as decided by the RPFC, Chandigarh based on the mutual consent and satisfactory performance of the contractor.

37. The agreement (annexure6) is the part of the tender and its terms and conditions is also part of the tender.

38. LIQUIDATED DAMAGES CLAUSES:

(i) Any misconduct/misbehaviour on the part of the manpower deployed by the agency will not be tolerated and such persons will have to be replaced immediately.

(ii) If the required number of workers/supervisor are less than the minimum required as a penalty of Rs. 300/- per worker per day will be deducted from the bill (ref. Clause 37).

The RPFC, Chandigarh reserves the right to reject any or all tenders in whole or in part assigning reasons therefore. The decision of RPFC, Chandigarh shall be final and binding on the contractor/agency in respect of any clause covered under the Contract.

39. The firm should sign and stamp all the pages of the tender documents as acceptance of all the terms and conditions and sent to RPFC, Chandigarh.

40. Damage Charges: A relaxation of only two days will be allowed to the deployed staff based on the genuine health reason for self and subject to production of genuine medical certificate. This relaxation should not become a practice. This will be allowed in rare circumstance and subject to prior information, consideration and approval of the competent authority of RPFC, Chandigarh. If above fulfilled, the damage clause for 02 days will be relaxed. Within this 02 days the firm is liable to send replacement. If replacement does not join within two days, the damage clause @300/- per day per worker will be imposed for whole absence period without relaxing two days and will be deducted from the bill.

41. Commission from the deployed staff: The firm should not levy any commission in any form by any name from the deployed staff. If it is noticed that the firm is levying the commission from the staff, the action will be taken accordingly which include legal action, forfeiture of performance security, cancellation of tender and blacklisting of the firm.

DRAFT SPECIMEN AGREEMENT

This agreement is made at.....(place)on (month/year) day of between RPFC, Chandigarh through.....(designation of the competent authority in 'Regional office, Chandigarh) which term shall include its successors, assignees etc. on the first part and

.....(name & address of the firm) (herein after called the firm) which term shall include its authorized representatives, successor, assignees etc. on the other part. Whereas The 'Regional P.F. Commissioner, Chandigarh has decided to assign the annual job work contract for providing (nature of job) at Regional office, Chandigarh to the firm on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY AGREED by and between the parties hereto as follows:

3. This agreement shall come into force w.e.f.(date) and will remain in force for a period for one year but can be terminated by RPFC, Chandigarh by giving one calendar month's notice in writing of its intentions to terminate the agreement. The agreement can be renewed/extendable on same terms, if mutually agreed, for further period as decided by The Regional P.F. Commissioner, Chandigarh subject to satisfactory performance of the contractor.
4. The firm shall be responsible for annual job work contract for providing (nature of job)..... at (location).
5. The firm will provide full particulars of every worker deployed by it for providing the services and gate security purposes and get their character and antecedents verified from the police authorities.
6. All personnel posted at premises shall at all times and for all purposes be deemed to be employees of the firm and the RPFC, Chandigarh shall have no liability on this account in any manner.
7. That the Firm shall ensure that all persons deployed with RPFC, Chandigarh are of good character, well behaved and otherwise competent and qualified to perform the work for which they are deployed.
8. The RPFC, Chandigarh shall have the right to ask for the removal from its premises any personnel considered by them to be incompetent, disorderly or any other reason and such person shall not again be deployed without the consent of the RPFC, Chandigarh.
9. The manpower deployed by the agency should work as per the working days, timings and requirement of the RPFC, Chandigarh
10. Wages to be paid to the contractual manpower as per DC rates.
11. Monthly consolidated charges for job/ work contract for providing services at 'Regional office, Chandigarh is as per terms and conditions specified and scope of work as per annexure-5 in the tender document including all the taxes viz. GST and other taxes as applicable will be paid to the firm by the RPFC, Chandigarh. The firm will raise a bill of this amount every month and the payment released by

the RPFC, Chandigarh in the form of crossed cheque payment to the firm subject to satisfactory performance / delivery of contracted job / work/ services. The bill will be raised by the firm after making the payment to the workers employed by the firm to providing these services in presence of authorized representatives of RPFC, Chandigarh and enclose documentary proof with the bill. Copies of documents such as deposit challan along with list of persons showing deposit of ESIC/EPF with the concerned agencies are also to be deposited with the bill,

12. The deduction of income tax/TDS from the bills of the agency will be made at source as per rates applicable from time to time.

13. In case of dispute between the parties, the matter shall be referred to the sole arbitrator appointed by the RPFC, Chandigarh. The decision of the sole arbitrator shall be final and binding in any respect of any dispute between the parties. The arbitration proceedings shall be governed by Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time.

14. That the firm shall issue identity card to each of the workers engaged for entry in RPFC, Chandigarh premises.

15. That the firm shall ensure the successful implementation of the terms and conditions of the agreement by proper control and supervision of the work.

16. That in case the firm fails to perform any of the terms and conditions of this agreement or commits any breach of the contract, RPFC, Chandigarh shall cancel the contract and forfeit the performance security.

17. That the firm agrees to discharge all their legal obligations in respect of their workers in respect of their wages and services conditions and shall also comply with all the rules and regulations and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time, viz. Obligations under Contract labour (Regulation & Abolition) Act. 1970, Employees Compensation Act, 1923, E.P.F. & M.P. Act, 1952 & ESI Act etc. Firm agrees to indemnify and keep indemnified the RPFC, Chandigarh on account of any failure to comply with the obligations under various laws or damage to RPFC, Chandigarh due to acts/omissions of Firm.

18. It is also agreed that under no circumstances, the employees/ workmen of the firm shall be treated, regarded or considered or deemed to be the employees of the RPFC, Chandigarh and the firm alone shall be responsible for their remuneration, wages and other benefits etc. Firm shall indemnify and keep indemnified the RPFC, Chandigarh against any claim that it may have to meet towards the employees/ workmen of the firm. Firm's employees/workmen shall have no claim to absorption/ regularization.

19. The contract is subject to the conditions that the firm shall comply with all the laws and bye-laws of Central Govt. / Chandigarh Administration as applicable relating to this contract. In case of any loss or damage to the property of the RPFC, Chandigarh which is attributable to the firm, the full damages will be recovered from the firm as decided by RPFC, Chandigarh.

20. The firm shall not transfer its right or sub- contract to anyone else.

21. The firm or its workers shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.

22. The firm shall devote its full attention in service to ensure highest quality in all aspects and discharge its obligations under the contract with trust, diligence and honesty.
23. Compensation to the workers in case of any accident, loss of life during discharge of their duties shall be borne by the firm and not by RPFC, Chandigarh in any manner.
24. The firm shall provide a Co-ordinator for immediate interaction with the organization.
25. The terms and conditions as stipulated in the tender documents and enclosed herewith, shall be part of the agreement.
26. The selected agency shall provide the necessary personnel at the 'Regional office, Chandigarh as per labour laws prevalent in the Chandigarh Administration. The agency shall employ reliable persons with good health in the age group of 21 to 50 years. In case any of the personnel so provided is not found suitable by the RPFC, Chandigarh, the RPFC, Chandigarh shall have the right to ask for replacement without giving any reason thereof and the agency shall have to replace such personnel immediately
27. The services are to be provided at for 6 days a week from 9.00 A.M. to 5.30 P.M. Sometimes, in emergency of work, services are to be rendered beyond office hours and Sunday and holidays also.
28. Overtime will be payable to the staff on recommendations/approval of RPFC, Chandigarh
29. The competent authority of RPFC, Chandigarh may, within the contractual manpower post sanctioned by RPFC, Chandigarh, increase/decrease the points under the contract as and when required in the RPFC, Chandigarh and the firm will deploy the manpower accordingly.
30. Tender's terms and conditions will be referred/interpreted if any terms and conditions not referred/reflected in this agreement. This agreement is part of the tender documents.
29. The competent authority of RPFC, Chandigarh may, increase/decrease the points/posts under the contract as and when required in the RPFC, Chandigarh and the firm will deploy the manpower accordingly.
- 30. PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE**
- (i) Any misconduct/misbehaviour on the part of the manpower deployed by the agency will not be tolerated and such persons will have to be replaced immediately.
- (iii) If the required number of workers/supervisor are less than the minimum required as a penalty of Rs. 300/- per worker per day will be deducted from the bill (ref. Clause 31). The decision of the competent authority at RPFC, Chandigarh shall be final and binding on the contractor/agency in respect of any clause covered under the contract and any matter incidental to the contract.
31. Damage Charges: A relaxation of only two days will be allowed to the deployed staff based on the genuine health reason for self and subject to production of genuine medical certificate. This relaxation should not become a practice. This will be allowed in rare circumstance and subject to prior

information, consideration and approval of the competent authority of RPFC, Chandigarh. If above fulfilled, the damage clause for 02 days will be relaxed. Within this 02 days the firm is liable to send replacement. If replacement does not join within two days, the damage clause @300/- per day per worker will be imposed for whole absence period without relaxing two days and will be deducted from the bill.

32. Commission from the deployed staff: The firm should not levy any commission in any form by any name from the deployed staff. If it is noticed that the firm is levying the commission from the staff, the action will be taken accordingly which include legal action, forfeiture of performance security, cancellation of tender and blacklisting of the firm.

IN WITNESS where the parties have executed those present on the day, month and year as mentioned above.

(Name & Address of the firm) (For the Regional Office, Chandigarh) Witness:-

1. _____

2. _____

FINANCIAL BID**Annexure-7**

To

The Regional P.F. Commissioner,
Chandigarh.

I/we wish to submit our Tenders for PROVIDING JOB/WORK CONTRACT FOR _____ AT
RPFC, Chandigarh on the following rates:-

S. No.	Particular	Per month
1	Percent of Service charges offered on the DC rates cover (DC Rates +EPF+ ESIC +Other Labour charges)	

I/we agree to forfeit the earnest money if I/We fail to comply with any of the terms and conditions in whole or in part laid down in the Tender form.

I /we have carefully read the terms and conditions of the tender and agreed to abide by these in letter and spirit.

Signature

Name & address of the firm

Telephone no.

Mobile no.

Note: - Bids quoting 'Nil' charges/consideration shall be treated as unresponsive bid and will not be considered.

	Monthly wages (per points)	
Sr. No	Particulars	Pay & Allowances (Rs.)
1.	Monthly Minimum wages as per minimum wages prescribed by Chandigarh Administration	(Liable to change as per DC rates)
2.	EPF as applicable	as applicable from time to time
3.	ESI employer contribution	as applicable from time to time
4.	Service Charges	as applicable from time to time
5.	GST extra as applicable (of Sr. No.05)	as applicable from time to time

Note:

1. GST extra & Labour accesses applicable. It is liable to change as regulated by the Government.
2. The Contractor will pay the applicable minimum wages of RPFC, Chandigarh to the staff as & when revised by the Chandigarh Administration.
3. Applicable tax like income tax/TDS etc, will be deducted from the bill source